-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा विभिन्न माध्यमों से धोखाधड़ी का शिकार होने वाले 03 पीड़ितो के खाते में कुल 1.38 लाख रुपए कराये गए वापस।**

विवरण- साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके एवं हथकंडे अपनाकर आमजन को ठगी का शिकार बना रहे हैं। तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर ठग भी अपने अपराध करने के तौर-तरीकों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन दिखाकर अत्यंत सस्ते दामों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन अथवा अन्य वस्तुएं बेचने का लालच दिया जाता है, तो कभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर पंजीकरण शुल्क, प्रोसेसिंग फीस अथवा सुरक्षा धनराशि जमा कराने के बहाने लोगों से धनराशि ऐंठ ली जाती है।

इस तरह के बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल द्वारा साइबर टीम को ऐसे अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस थाना बांदा टीम द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साइबर ठगी के शिकार हुए 03 पीड़ितों के खाते में कुल 1,38,150/ रुपए सफलतापूर्वक वापस कराई गई। 1- थाना कमासिन क्षेत्र के की रहने वाली निशा देवी ने इंस्टाग्राम पर निजी/सरकारी नौकरी लगवाने का एक एड देखा और विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तथा उन्हे विभिन्न प्रकार शुल्क, सुरक्षा धनराशि आदि जमा कराने का झांसा देकर उनके 60 हजार रुपये ठग लिए गए थे। 2-थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जरैली कोठी निवासी इंतजार अहमद की एक ग्रॉसरी की दुकान हैं, जिनके द्वारा फेसबुक पर सस्ते दामों में थोक ग्रॉसरी सामान उपलब्ध कराने का विज्ञापन देखा। विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। सामने वाले व्यक्ति ने कम कीमत पर बड़ी मात्रा में सामान उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया, जिस पर विश्वास कर उन्होंने बताए गए बैंक खाते में रुपये 59500 जमा कर दिए। भुगतान के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। 3-थाना बबेरु क्षेत्र के रहने वाले रवि सोनी द्वारा व्हाट्सएप पर एक संदेश आया था जिसमें एक एपीके फाइल संलग्न थी। उक्त संदेश को महत्वपूर्ण/उपयोगी एप्लीकेशन समझकर रवि सोनी ने बिना सत्यापन किए उस .APK फाइल पर क्लिक कर दिया और साइबर अपराधियों अपराधियों द्वारा उनका मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खाते से 18,650/ रुपए निकाल लिए गए। साइबर ठगी होने का एहसास होने पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी।

साइबर क्राइम पुलिस थाना बांदा की टीम द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंकिंग संस्थाओं, वित्तीय पोर्टलों एवं अन्य तकनीकी माध्यमों व विभागों से समन्वय एवं प्रभावी पत्राचार के माध्यम से साइबर ठगी में फंसी धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराते हुए कुल ₹1,38,150/ की धनराशि तीनों पीड़ितों के खातों में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। सभी आवेदकों/पीड़ितों द्वारा अपनी धनराशि वापस पाने पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए हृदय से धन्यवाद दिया गया।

बांदा पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले आकर्षक विज्ञापनों, नौकरी दिलाने के दावों, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक, .APK फाइल अथवा किसी भी संदिग्ध संदेश पर बिना सत्यापन विश्वास न करें किसी भी कार्यवाही से पूर्व उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी की घटना घटित होती है तो वह समय गंवाए बिना तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा निकटतम साइबर थाना/पुलिस थाने से संपर्क करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर धनराशि को सुरक्षित कराया जा सके।

वापस करायी गई कुल धनराशि-

- 03 पीड़ितो के कुल 01 लाख 38 हजार 150 रुपये।

टीम का विवरण-

1. श्री सुखराम सिंह0 प्र0नि0 साइबर क्राइम पुलिस थाना
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह
3. कां0 धर्मेन्द्र कुमार
4. कां0 हिमांशु वर्मा
5. कां0 ललित कुमार
6. म0कां0 ज्योति उपाध्याय